अध्याय 5

अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य कर विभाग

5.1 ''वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'' पर अनुपालन लेखापरीक्षा

5.1.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रारम्भ ने केंद्र एवं राज्यों द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाने वाले कई करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है जो वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर की गई प्रत्येक मूल्य वृद्धि पर आरोपित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य एक ही कर आधार पर एक साथ जीएसटी आरोपित करते हैं। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)/केंद्रशासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) राज्यों के भीतर आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है एवं अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) आरोपित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 59, वस्तु एवं सेवा कर को स्व–निर्धारण आधारित कर के रूप में निर्धारित करता है जहां पर कर देयता की गणना और गणना किए गए कर की देयता का निर्वहन एवं विवरणी दाखिल करने की ज़िम्मेदारी करदाता पर होती है। जीएसटी विवरणी को सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल करना अनिर्वाय है, असफल रहने पर शास्ति देय होगा। यदि किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई भी कर देयता नहीं है फिर भी उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करना होगा। इसके अलावा, सीजीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 सह–पठित सीजीजीएसटी नियम 2017, की नियम 99, यह निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी एवं संबन्धित जानकारियों की जाँच कर सकता है, जाँच में पायी गई विसंगतियों के बारे में करदाताओं को सूचित कर सकता है एवं स्पष्टीकरण मांग सकता है।

यह विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा इस नए कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए निर्धारित नियंत्रण तंत्र और राज्य कर विभाग, छत्तीसगढ़ के निरीक्षण तंत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए की गई।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य कर विभाग के सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग के समग्र प्रभारी हैं। यह विभाग राज्य में जीएसटी के साथ साथ छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम/केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम का प्रशासन करता है जो मुख्यालय स्तर पर राज्य कर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, संभाग स्तर पर विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त और वृत्त स्तर पर राज्य कर सहायक आयुक्त (स.आ.) एवं राज्य कर अधिकारी के समग्र नियंत्रण में है।

5.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने हेतु की गई। 'जीएसटी भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' का लेखापरीक्षण निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई ताकि इस पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

i. क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए संरचित किया गया था एवं करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था और

ii. क्या वृत्तों में की जानेवाली जाँच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त एवं प्रभावी थे

5.1.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं कार्यक्षेत्र

यह विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर संपादित किया गया था जिसमे जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबन्धित जोखिम क्षेत्रों एवं, संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), करदेयता का निर्वहन, पंजीकरण एवं विवरणी दाखिल के कार्यक्षेत्र में 13 विचलनों की पहचान की गई थी। ऐसे विचलनों की जाँच एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा[1] (सीमित लेखापरीक्षा) के माध्यम से किया गया जिसके अंतर्गत इन विचलनों को संबंधित राज्य कर विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं यानी वृत्तों को सूचित किया गया तथा पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई का पता क्षेत्रीय दौरे किए बिना ही लगाया गया। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) के अलावा एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय संरचनाओं के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे किए गए। करदाताओं से संबन्धित आंकड़ा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्य) की जाँच करने के लिए विवरणी से संबन्धित जानकारी को राज्य कर विभाग के जीएसटीएन पोर्टल एप्लीकेसन बैक एंड सिस्टम (बीओवेब) के माध्यम से यथासंभव प्राप्त किया गया। विस्तृत लेखापरीक्षा में संबन्धित क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से संबंधित ग्रेनुलर अभिलेख (जैसे बीजक, विविध लेनदार/देनदार का विवरण, वित्तीय अभिलेख आदि) तक पहुंचना शामिल था। इसके अलावा, चयनित वृत्तों में वृत्तों के अनुपालन कार्य जैसे विवरणियों की जाँच की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच एवं करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि को आच्छादित किया गया जबकि चयनित वृत्तों के कार्यों की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक की अवधि को आच्छादित किया गया।

प्रारंभ में, प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ के साथ दिनांक 29 मार्च 2022 को एक आगम बैंठक आयोजित किया गया था जिसमे लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और नमूना चयन पर चर्चा की गई। इसके अलावा, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखापरीक्षा कार्य की शुरुआत में संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया तथा समापन में एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रारूप प्रतिवेदन 16 जून 2023 को विभाग को अग्रेषित किया गया था। विभाग का उत्तर

[1] केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के ग्रेनुलर अभिलेख जैसे कि उनके बहीखाता से संबंधित वित्तीय विवरण, बीजक, अनुबंध आदि शामिल नहीं थे।

21 सितंबर 2023 को प्राप्त हुआ जिसे संबंधित अनुच्छेदों में समुचित रूप से शामिल किया गया।

5.1.5 लेखापरीक्षा नमूना

वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं इसकी सीमा का निर्धारण करने हेतु योजना बनाने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूनों में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) के लिए आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमे कोई क्षेत्रीय दौरा नहीं था, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना था जिसमें विभागीय परिसर में क्षेत्रीय दौरा करते हुए करदाताओं के अभिलेखों की समीक्षा करनी थी तथा वृत्तों के अनुपालन कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वृत्तों का एक नमूना शामिल था।

इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रमुख तीन भाग निम्नानुसार थे:

(i) भाग I:– वृत्तों की लेखापरीक्षा

इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत वृत्तों के निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए ऐसे 10 वृत्तों[2] का एक नमूना लिया गया था जिनमें वृत्तों के अधिकार क्षेत्र में विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए एक से अधिक प्रकरण चयनित किए गए थे।

(ii) भाग II:– केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों और विवरणियों के मध्य विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया। तदनुसार, इस विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा के तहत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 532 प्रकरणों का चयन किया गया था।

(iii) भाग III:– विस्तृत लेखापरीक्षा

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा, के मूल्यांकन के लिए वृत्तों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों की जाँच करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा की गई। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदण्डों जैसे अधिक आईटीसी, कर देयता में अंतर, छूट–प्राप्त टर्नओवर का कुल टर्नओवर से अनुपातहीन होना और अनियमित आईटीसी के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 16 वृत्तों[3] से संबन्धित 25 करदाताओं में बड़े, मध्यम एवं छोटे स्तर[4] के करदाता शामिल थे।

इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु केंद्रीकृत लेखापरीक्षा, विस्तृत लेखापरीक्षा और वृत्तों की लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूनों का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 5.1.1*** में दिया गया है।

---

[2] स०आ० वृत्त–अम्बिकापुर, स०आ० वृत्त–2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त–1, कोरबा, स०आ० वृत्त–2, रायगढ़, स०आ० वृत्त–2, रायपुर, स०आ० वृत्त–3, रायपुर, स०आ० वृत्त–6, रायपुर, स०आ० वृत्त–7, रायपुर, स०आ० वृत्त–9, रायपुर, स०आ० वृत्त–राजनन्दगाँव

[3] स०आ० वृत्त–अम्बिकापुर, स०आ० वृत्त–धमतरी, स०आ० वृत्त–2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त–1, कोरबा, स०आ० वृत्त–2, कोरबा, स०आ० वृत्त–मानेन्द्गढ़, स०आ० वृत्त–2, रायगढ़, स०आ० वृत्त–1, रायपुर, स०आ० वृत्त–2, रायपुर, स०आ० वृत्त–3, रायपुर, स०आ० वृत्त–4, रायपुर, स०आ० वृत्त–6, रायपुर, स०आ० वृत्त–7, रायपुर, स०आ० वृत्त–8, रायपुर, स०आ० वृत्त–9, रायपुर स०आ० वृत्त–राजनन्दगाँव

[4] बड़े करदाता–15, मध्यम करदाता–8 और छोटे करदाता–2

5.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतों में सीजीएसटी अधिनियम, सीजीजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों में सन्निहित थे। महत्त्वपूर्ण प्रावधान ***तालिका 5.1.1*** में दिये गए हैं।

तालिका 5.1.1: मानदंड के स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम और नियम
1.	आरोपण एवं संग्रहण	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9
2.	रिवर्स चार्ज मैकानिजम	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3)
3.	आईटीसी का लाभ उठाना एवं उपयोग करना	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 से 21 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के तहत नियम 36 से 45
4.	पंजीकरण	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 25 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 से 26
5.	आपूर्तियां	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 से 8 सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची I, II और III
6.	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 से 13
7.	आपूर्ति का समय	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 से 14
8.	आपूर्ति का मूल्यांकन	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 27 से 34
9.	कर का भुगतान	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय X के तहत धारा 49 से 53 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय IX के तहत नियम 85 से 88ए
10.	जीएसटी विवरणियों का दाखिल करना	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय IX के तहत धारा 37 से 47, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय VIII के तहत नियम 59 से 68 और 80 से 81, सीजीजीएसटी नियम के भाग–बी में विवरणियों के निर्धारित प्रारूप
11.	शून्य दर आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16
12.	मूल्यांकन एवं लेखापरीक्षा कार्य	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय XII और XIII के तहत धारा 61, 62, 65 और 66 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय XI के तहत नियम 99 से 102

इसके अलावा विवरणियों को दाखिल करने, विभिन्न प्रकार की विवरणियों के दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, विवरणियों के दाखिल करने की नियत तिथि को बढ़ाने, वस्तु एवं सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने, विवरणियों की जाँच एवं कर अनुपालन की निगरानी और विवरणियों को दाखिल करना, विवरणियों की जाँच एवं पंजीयन का रद्द करना इत्यादि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने वाली मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)[5] संबन्धित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)[6]/राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंड के भाग थे।

[5] आदेश संख्या/वाणिज्यिक/टेक/832/2022/8726 दिनांक 30.09.2022

[6] केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- विवरणियों के दाखिले पर निगरानी – वृत्तों की लेखापरीक्षा
- केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा
- विस्तृत लेखापरीक्षा

5.1.7 विवरणियों के दाखिले पर निगरानी –वृत्तों की लेखापरीक्षा

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों से संबन्धित विशिष्ट विवरणों का एक कथन है। प्रत्येक करदाता कानूनी रूप से एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता के दौरान एक पूर्ण एवं सही तथा निर्धारित समय में भुगतान किए गए करों की विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। स्व–मूल्यांकन व्यवस्था में करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियों की निगरानी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विवरणी ही करदाताओं एवं उनकी संबन्धित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

5.1.7.1 विलंब से विवरणी दाखिल करने वालों और दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

विवरणियों का दाखिला, कर के भुगतान से संबन्धित है क्योंकि दोनों ही कार्यों की नियत तिथि समान होती है, जिसका अर्थ है कि विवरणी दाखिल नहीं करने वालों के प्रकरण में कर/दंड का भुगतान नहीं करने का जोखिम रहता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 सह–पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 में यह प्रावधान है कि यदि कोई करदाता नियत तिथि के अंदर विवरणी दाखिल करने में विफल हुआ तो उसे जीएसटीआर 3ए में एक नोटिस जारी की जाती है जिसमें उसे 15 दिनों के अंदर विवरणी दाखिल करना होता है। यदि करदाता इस नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो उचित अधिकारी उस समय उपलब्ध या एकत्र किए गए सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करदाता के कर की देयता का निर्धारण अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर सकता है और प्रारूप एएसएमटी 13 में कर निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50, यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक करदाता जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, परंतु निर्धारित अवधि के दौरान सरकार को कर या उसके कुछ भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उस समयावधि के लिए जिसके लिए कर या उसके कुछ भाग का भुगतान नहीं हुआ है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया कि 10 वृत्त कार्यालयों में से अम्बिकापुर वृत्त कार्यालय ने वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान विवरणी दाखिल नहीं करने अथवा विवरणी विलंब से दाखिल करने वालों से संबन्धित कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि शेष नौ वृत्त कार्यालयों में से किसी में भी वर्ष 2017–18 के दौरान विवरणी दाखिल नहीं करने वाले अथवा देर से दाखिल करने वाले किसी भी प्रकरण की पहचान नहीं की।

वर्ष 2018–19 के दौरान चार वृत्त[7] कार्यालयों ने 1,242 करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले अथवा विलंब से दाखिल करने वाले 1,299 प्रकरणों की पहचान की। वर्ष 2019–20 के दौरान छः वृत्त[8] कार्यालयों ने 5,881 करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले 7,726 प्रकरणों की पहचान की और 2020–21 के दौरान सभी नौ वृत्त[9] कार्यालयों ने 9,503 करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले अथवा देर से दाखिल करने वाले 14,534 प्रकरणों की पहचान की।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 9 वृत्त कार्यालयों में 2018–19 से 2020–21 के दौरान 16,626 करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/देर से दाखिल करने वाले 23,559 प्रकरणों की पहचान की गई थी तथा उन सभी प्रकरणों में जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जवाब में 23,559 प्रकरणों में से 20,462 प्रकरणों (86.85 प्रतिशत) में विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/ देर से दाखिल करने वाले करदाताओं ने विवरणी दाखिल कर दिया। विभाग ने शेष 3,097 प्रकरणों में से 3,065 प्रकरणों (98.97 प्रतिशत) में सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण (एएसएमटी 13) शुरू करते हुए ₹ 720.28 करोड़ की राशि का आकलन किया जिसमें से ₹ 129.62 करोड़ की राशि की वसूली की गई। 2,969 प्रकरणों में एएसएमटी 13 की कार्रवाई वापस ले ली गई थी क्योंकि संबन्धित करदाताओं ने अपनी विवरणी दाखिल कर दी तथा ब्याज की राशि ₹ 19.85 करोड़ एवं विलंब शुल्क की राशि ₹ 0.59 करोड़ का भुगतान कर दिया। शेष 128 प्रकरणों में से 93[10] प्रकरणों में करदाताओं का पंजीयन रद्द कर दिया गया है और एएसएमटी 13 की कार्यवाही लंबित है तथा 35 प्रकरणों में विभाग द्वारा अनंतिम कुर्की का सहारा लिया गया है ***(परिशिष्ट 5.1.2)***।

लेखापरीक्षा ने 20,462 प्रकरणों में से 1,101 (यादृच्छिक आधार पर चयनित) प्रकरणों की नमूना जाँच की (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) जिनमें विभाग द्वारा जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी करने के बाद संबंधित करदाताओं ने ब्याज की राशि ₹ 5.50 करोड़ एवं विलंब शुल्क की राशि ₹ 1.52 करोड़ का भुगतान कर दिया था। लेखापरीक्षा ने 1,101 प्रकरणों में से 337 प्रकरणों में यह पाया कि सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के अनुसार करों की शुद्ध देयता पर ₹ 1.02 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान न तो संबन्धित करदाताओं द्वारा किया गया और न ही वृत्त अधिकारियों ने अधिरोपित किया ***(परिशिष्ट 5.1.3)***।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जून 2023) पर विभाग ने अपने जवाब (सितंबर 2023) में बताया कि 97 प्रकरणों में ₹ 0.46 करोड़ की वसूली कर ली गई थी तथा शेष 240 प्रकरणों में ₹ 0.57 करोड़ के लिए एएसएमटी 10/डीआरसी 07/डीआरसी 01ए जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

---

7 स०आ० वृत्त–2, रायगढ़, स०आ० वृत्त–7, रायपुर, स०आ० वृत्त–9, रायपुर, स०आ० वृत्त–राजनन्दगाँव

8 स०आ० वृत्त–2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त–2, रायगढ़, स०आ० वृत्त–3, रायपुर, स०आ० वृत्त–7, रायपुर, स०आ० वृत्त–9, रायपुर, स०आ० वृत्त–राजनन्दगाँव

9 स०आ० वृत्त–2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त–1, कोरबा, स०आ० वृत्त–2, रायगढ़, स०आ० वृत्त–2, रायपुर, स०आ० वृत्त–3, रायपुर, स०आ० वृत्त–6, रायपुर, स०आ० वृत्त–7, रायपुर, स०आ० वृत्त–9, रायपुर, स०आ० वृत्त–राजनन्दगाँव

10 स०आ० वृत्त–1, कोरबा–3 प्रकरण, स०आ० वृत्त–3, रायपुर–41 प्रकरण, स०आ० वृत्त–6, रायपुर–29 प्रकरण, स०आ० वृत्त–7, रायपुर–20 प्रकरण

5.1.7.2 विवरणियों की समीक्षा की धीमी गति/विवरणियों की समीक्षा शुरू नहीं होना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की जाँच उचित अधिकारी द्वारा किया जाना है और विवरणियों में परिलक्षित विसंगतियों या अनियमितताओं पर समुचित कार्रवाई की जानी है। इस उद्देश्य के लिए नामित उचित अधिकारी वृत्त क्षेत्राधिकार के प्रभारी राज्य कर अधिकारी हैं। इसके अलावा, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 अध्यादेशित करता है कि विसंगतियाँ, यदि कोइ हो, संज्ञान में आती हैं तो उसे करदाता को सूचित कर उसका स्पष्टीकरण माँगा जाएगा।

विभाग ने अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, जांच कार्यवाही की एकरूपता सुनिश्चित करने तथा प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से दिनांक 30 सितंबर 2022 को एसओपी जारी किया।

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए 10 वृत्त कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारियों की नमूना जाँच (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि वर्ष 2017–18 में किसी भी वृत्त कार्यालय ने विवरणियों की कोई जांच नहीं की थी।

दस वृत्त कार्यालयों में से केवल दो वृत्त[11] कार्यालयों ने वर्ष 2018–19 में 22 करदाताओं और अन्य दो वृत्त[12] कार्यालयों ने 2019–20 में 60 करदाताओं से संबन्धित विवरणियों की समीक्षा की थी। सभी 10 वृत्त कार्यालयों ने वर्ष 2021–21 में 3,050 करदाताओं से संबन्धित विवरणियों की जाँच की थी।

लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान सभी वृत्त कार्यालयों में जिन 3,132 करदाताओं के विवरणियों की जाँच की गई थी, उनमें से विभाग ने सभी 3,173 प्रकरणों में, विभाग ने एएसएमटी 10 नोटिस जारी किया था। इन नोटिसों के जवाब में 527 प्रकरणों (16.61 प्रतिशत) में संबन्धित करदाताओं ने विसंगतियों को स्वीकार कर लिया था और कर की राशि ₹ 44.64 करोड़ का भुगतान किया था। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 1,703 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिनमें से 647 प्रकरणों (37.99 प्रतिशत) में निर्धारण पूरा हो गया था जिसमें ₹ 140.25 करोड़ की वसूली योग्य राशि में से ₹ 56.45 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी। शेष 943 प्रकरणों में वृत्त अधिकारियों ने प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान नहीं की। 10 वृत्त कार्यालयों द्वारा जारी एएसएमटी 10/कारण बताओ नोटिस का विवरण ***परिशिष्ट 5.1.4*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) पर वृत्त कार्यालयों ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2022 और दिसम्बर 2022) कि जीएसटी लागू होने की प्रारंभिक अवधि में विवरणियों की जाँच की गति धीमी होने का कारण विभागीय अधिकारियों का जीएसटी पूर्व प्रशासन से संबन्धित प्रकरणों का निर्धारण तथा वसूली जैसे कार्यों में व्यस्त होना, जीएसटी पोर्टल की कुछ विशेष कार्यात्मकताओं का सही से काम नही करना और अनुपलब्ध होना, कोविड महामारी की अवधि के दौरान कार्यालय का बार–बार बंद रहना था। विभाग ने आगे यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा न हो इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे तथा प्रकरणों के सत्यापन पश्चात अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

---

[11] स०आ० वृत्त–2, रायगढ़, स०आ० वृत्त–6, रायपुर

[12] स०आ० वृत्त–अम्बिकापुर, स०आ० वृत्त–2, रायगढ़

विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन जून 2023 में भेजा गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं किया परंतु सीबीआइसी द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं[13] को अग्रेषित कर दिया जिसमें वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय सीमा को क्रमशः दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयुक्त, राज्य कर विभाग ने अधीनस्थ अधिकारियों को वैधानिक विवरणियों की समीक्षा करने की शक्ति प्रत्यायोजित (जनवरी 2018) की थी तथा उन्हें तत्काल प्रभाव से जाँच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था परंतु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 30 जनवरी 2024 की अधिसूचना[14] के अनुसार वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय सीमा क्रमशः अप्रैल 2024 और अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई थी।

अनुशंसा क्र. 1: विभाग को प्रकरणों के समय बाधित होने से पहले समयबद्ध तरीके से विवरणियों की जाँच सुनिश्चित करनी चाहिए।

5.1.7.3 पंजीयन रद्द करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 सह–पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 20, करदाता को कुछ परिस्थितियों जैसे व्यवसाय को बंद करना, पंजीकरण के लिए टर्नओवर का निर्धारित सीमा से नीचे आना, कारोबार का स्थानांतरण/विलय/संयोजन, पैन में परिवर्तन, निर्धारित समयावधि में व्यवसाय शुरू न करना और मालिक की मृत्यु, में पंजीयन रद्द कराने की अनुमति देता है। पंजीयन रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को "पंजीयन रद्द करने की आवश्यक्ता वाली घटना" के 30 दिनों के भीतर जीएसटी कॉमन पोर्टल पर प्रारूप आरईजी 16 में आवेदन करना चाहिए।

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 29(2), करदाताओं द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन, कोम्पोजीसन करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधि की विवरणी का दाखिल नहीं करने, सामान्य करदाताओं द्वारा लगातार छः महीने की विवरणी का दाखिल नहीं करने, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीयन के दिनांक से छः महीने के अंदर व्यवसाय शुरू नहीं करने और धोखाधड़ी के माध्यम से या जानबूझकर गलत विवरण देकर अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त पंजीयन, आदि जैसे प्रकरणों के आधार पर वृत्त अधिकारियों को करदाताओं के पंजीयन को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है।

लेखापरीक्षा ने पंजीयन रद्द करने में जो कमियाँ पाई वो अनुवर्ती कंडिकाओं में दी गई हैं।

(अ) जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं करनेवालों पर अपर्याप्त कार्यवाही

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार, अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) पंजीयन रद्द होने की प्रभावी तिथि अथवा पंजीयन रद्द करने के आदेश की तिथि जो भी बाद में हो, से तीन महीने के अंदर दाखिल किया जाना है।

परिपत्र[15] के अनुसार, जीएसटीआर 10 दाखिल करने वाले करदाता को जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी की जानी है। यदि करदाता नोटिस (जीएसटीआर 3ए) की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो करदाता की कर

---

[13] संख्या. 06/2023– केंद्रीय कर दिनांक 31.03.2023 और 09/2023– केंद्रीय कर दिनांक 31.03.2023

[14] संख्या. 56/2023– राज्य कर दिनांक 30.01.2024

[15] संख्या. 129/48/2019–जीएसटी दिनांक 24.12. 2019

देयता का निर्धारण करने के लिए सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 सह–पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 100 के तहत निर्धारण आदेश प्रारूप एएसएमटी 13 में जारी करना होगा। अगर करदाता एएसएमटी 13 आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त आदेश वापस ले लिया गया माना जाएगा। हालांकि, ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान की देयता फिर भी जारी रहेगी। यदि एएसएमटी 13 आदेश जारी होने से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो उचित अधिकारी अधिनियम की धारा 78 के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है एवं अधिनियम की धारा 79 के तहत वसूली कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किये गए (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) सभी वृत्त कार्यालयों में पाया कि 16,784 प्रकरणों में प्रारूप आरइजी–19 (पंजीयन रद्द करने का आदेश) जारी किए गए थे जिनमें से 159 (0.95 प्रतिशत) प्रकरणों में पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही बंद करनी पड़ी, 5,183 (30.88 प्रतिशत) प्रकरणों में पंजीयन रद्द करने के आदेश को निरस्त किया गया। शेष 11,442 प्रकरणों में से 31 (0.19 प्रतिशत) प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शुरू किया गया तथा पूरा किया गया एवं ₹ 1 लाख की वसूली भी की गई। यह भी देखा गया कि 1,242 (7.39 प्रतिशत) प्रकरणों में करदाताओं ने जीएसटीआर 10 दाखिल कर दिया है और शेष 10,169 (60.58 प्रतिशत) पंजीयन रद्द किए हुए प्रकरणों में करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं किए गए थे ***(परिशिष्ट 5.1.15)***।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने अपने उत्तर (सितंबर 2023) में कहा कि संबन्धित करदाताओं को 8,513 जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी की गई हैं जिसके कारण 543 प्रकरणों में करदाताओं ने अंतिम विवरणी जीएसटीआर 10 दाखिल कर दिया है तथा ₹ 2.89 लाख की वसूली भी कर ली गई है। शेष 1,656 प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(ब) पंजीयन रद्द करने में विलंब

करदाता के पंजीयन रद्द करने हेतु दिए हुए आवेदन की तिथि से या स्वतः संज्ञान लेकर पंजीयन रद्द करने के प्रकरण में प्रारूप आरइजी 17 के उत्तर की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रारूप आरइजी 19 में पंजीयन रद्द करने का आदेश जारी किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) कि 10 में से तीन वृत्त[16] कार्यालयों में 1,942 प्रकरणों में से 1,186 (61.07 प्रतिशत) प्रकरणों में करदाताओं के अनुरोध पर पंजीयन रद्द करने का आदेश एक से लेकर 519 दिनों की देरी से जारी किया गया था ***(परिशिष्ट 5.1.6)***।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने उत्तर (सितंबर 2023) दिया कि बीओ पोर्टल में वृत्त में स्थानांतरित होकर आनेवाले अधिकारियों को वृत्त से स्थानांतरित होकर निवर्तमान अधिकारियों के लंबित प्रकरणों को स्थानांतरित न करने, कोविड महामारी के दौरान कार्यालय बार–बार बंद रहने, जीएसटी पोर्टल की कुछ विशेष कार्यात्मकताओं के सही से कार्य न करने और अनुपलब्ध होने के कारण पंजीयन रद्द करने में उक्त विलंब हुआ था। इसके अलावा, विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि भविष्य में इन विसंगतियों को दोहराया नहीं जाएगा तथा जीएसटी प्रक्रिया के पालन हेतु उचित सावधानी रखी जाएगी।

[16] स०आ० वृत्त–1, कोरबा, स०आ० वृत्त–2, रायगढ़, स०आ० वृत्त–राजनन्दगाँव

अनुशंसा क्र. 2: विभाग पंजीयन रद्द करने की स्थिति और उसपर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कर देनदारी की जाँच कर सकता है।

5.1.8 जीएसटी विवरणियों में विसंगतियाँ–केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के जीएसटी विवरणी आंकड़ो का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणियों में नियम आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों की पहचान, 13 लेखापरीक्षा आयामों के एक समूह पर की गई थी जिन्हें मुख्यतः दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे आईटीसी एवं कर भुगतान।

निर्धारित 13 जीएसटी विवरणियों में से जीएसटी विवरणी[17]/आंकड़ों के बीच के विचलनों, विसंगतियों और भिन्नता की पहचान करने के उद्देश्य से सामान्य करदाताओं पर लागू होनेवाले निम्नलिखित मूल विवरणियों पर विचार किया गया थाः

- **जीएसटीआर 1:** वस्तु एवं सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति करने वाले सभी समान्य एवं आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण शामिल है।
- **जीएसटीआर 3बीः** अधिनियम की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्ति एवं दावा किए गए आईटीसी, के साथ दाखिल की जाने वाली मासिक सारांश विवरणी है। यही विवरणी इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट एवं डेबिट और इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में डेबिट को दर्शाती है।
- **जीएसटीआर 6:** इनपुट सेवा वितरकों (आईएसडी) के लिए मासिक विवरणी जो उनके द्वारा वितरित आईटीसी और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करती है।
- **जीएसटीआर 8:** ई–कॉमर्स ओपरेटर्स द्वारा दाखिल की जानेवाली मासिक विवरणी जिसमें जीएसटी के तहत टीसीएस (स्रोत पर संग्रहित कर) की कटौती करनी आवश्यक है जिसे अक्टूबर 2018 में लागू किया गया था।
- **जीएसटीआर 9:** आईएसडी, स्रोत पर कर की कटौती करने वाले/स्रोत पर कर संग्रहण करने वाले, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और प्रवासी करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल की जानेवाली वार्षिक विवरणी। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, सीजीजीएसटी और आईजीएसटी) के तहत की गई आपूर्तियों तथा प्राप्त सभी आपूर्तियों के विवरण के साथ ही टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण भी शामिल है।
- **जीएसटीआर 9सीः** किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र। यह मूल रूप से जीएसटीआर 9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाताओं के लेखापरीक्षा के उपरांत वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समाधानित विवरण है।

---

[17] 1. जीएसटीआर 1 2. जीएसटीआर 3बी 3. जीएसटीआर 4 (कंपोजीसन स्कीम के तहत करदाता) 4. जीएसटीआर 5 (अप्रवासी करयोग्य व्यक्ति) 5. जीएसटीआर 5ए (अप्रवासी ओआइडीएआर सेवा प्रदाता) 6. जीएसटीआर 6 (इनपुट सेवा वितरक) 7. जीएसटीआर 7 (टीडीएस काटनेवाले करदाता) 8. जीएसटीआर 8 (ई–कॉमर्स अपरेटर) 9. जीएसटीआर 9 (वार्षिक विवरणी) 10. जीएसटीआर 10 (अंतिम विवरणी) 11. जीएसटीआर 11 (यूआइएन वाले व्यक्ति जिन्होने प्रतिदाय का दावा किया है) 12. सीएमपी 08 13. आईटीसी 04 (प्रिन्सिपल/जॉब वर्कर के द्वारा दायर किया जाने वाला विवरण जो जॉब वर्कर से निर्गत/प्राप्त वस्तु का विस्तृत ब्यौरा होता है)

➤ **जीएसटीआर 2ए:** आवक आपूर्ति प्राप्तकर्ता करदाता के लिए सिस्टम जनित विवरण। इसमे आपूर्तिकर्ताओं के प्रपत्र जीएसटीआर 1/जीएसटीआर 5 में घोषित सभी बी2बी[18] लेनदेन विवरण, जीएसटीआर 6 से आईएसडी का विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर 7 एवं जीएसटीआर 8 से विवरण और भारतीय सीमा शुल्क के आइसगेट[19] पोर्टल से प्राप्त बिल ऑफ एंट्री पर विदेशों से वस्तु का आयात का विवरण शामिल है।

वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से संबन्धित पहचाने गए 13 आयामों और विचलनों/असंगतताओं (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना) पर आंकड़ा विश्लेषण को ***तालिका 5.2.2*** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.1.2: छत्तीसगढ़ राज्य के आंकड़ा विश्लेषण का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षा आयाम	प्रयुक्त कलन विधि	विचलनों की संख्या	विचलनों/भिन्नता की राशि
1.	जीएसटीआर 3 बी विवरणी का दाखिल नहीं करना	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया था परंतु जीएसटीआर 1 दाखिल किया था या जहां जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है, इंगित करता है कि करदाता ने कर के भुगतान का निर्वहन किए बिना व्यवसाय किया था।	18	1.82
2.	वार्षिक विवरणी में और वित्तीय विवरण में कुल टर्नओवर में भिन्नता (9सी की तालिका 5आर)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में ऋणात्मक आकड़े	50	7,954.74
3.	वार्षिक विवरणी में और वित्तीय विवरण में करयोग्य टर्नओवर में भिन्नता (9सी की तालिका 7जी)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक आकड़े	50	3,213.62
4.	लेखा पुस्तकों में भुगतान किए गए कर और वार्षिक विवरणी में देय कर के बीच भिन्नता (9सी की तालिका 9आर)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक आकड़े	50	26.93
5.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में लिए गए आईटीसी में भिन्नता (9सी की तालिका 12एफ)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में धनात्मक आकड़े	50	62.33
6.	वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी और वित्तीय विवरण के व्ययों में भिन्नता (9सी की तालिका 14टी)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में धनात्मक आकड़े	50	970.93
7.	रिर्वस चार्ज मेकनिज्म (आरसीएम) के तहत लिए गए आईटीसी में भिन्नता	जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में घोषित रिर्वस चार्ज मेकनिज्म देयता की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में घोषित आरसीएम देयता की तुलना	49	9.29

[18] व्यवसाय से व्यवसाय
[19] इंडियन कस्टम इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज गेटवे

		जीएसटीआर 3बी की तालिका {4(ए)(2)+4(ए)(3)}.		
8.	भुगतान किए बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाने में भिन्नता	जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, तालिका 3.1(डी) में आरसीएम देयता की तुलना तालिका{4(ए)(2)+4(ए)(3)} में लिए गए आईटीसी से की गई थी।	16	0.79
9.	अधिक आईटीसी लिया जाना	सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) (घरेलू आपूर्ति पर उपार्जित) में लिए गए आईटीसी जिसमें तालिका 4(बी)2 में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए लेकिन अगले वर्ष 2018–19 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8(सी) में उपलब्ध आईटीसी को सम्मिलित करते हुए की गई थी।	49	63.50
10.	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना	जीएसटीआर 3बी की तालिका 6.1 में घोषित ब्याज की तुलना विलंब से दाखिल किए हुए जीएसटीआर 3बी में कर के भुगतान के नकद भाग पर 18 प्रतिशत की दर से गणना किए हुए ब्याज से की गई।	50	18.74
11.	आइएसडी क्रेडिट का गलत लिया जाना	जीएसटीआर 9 की तालिका 6(जी) या जीएसटीआर 3बी की तालिका 4(ए)(4) में प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त आईटीसी की तुलना आइएसडी के जीएसटीआर 6 की तालिका 5ए +8ए+9ए में स्थानांतरित आईटीसी से की गई थी।	49	3.01
12.	अनिर्वहित कर देनदारिया	जीएसटीआर 1 की (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर 9 की (तालिका 4एन, 10 एवं 11) दोनों में से जो ज्यादा हो उस कर देयता की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका {3.1(ए)+3.1(बी)} में किए हुए कर के भुगतान ब्योरे से की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी में किए हुए कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर 1 की देयता से की गई थी। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में घोषित संशोधनों और समायोजित अग्रिमों पर विधिवत विचार किया गया था।	50	97.91
13.	विवरणियों को दाखिल न करने वाले	लगातार छः महीनों तक जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया	1	0.0056
योग			**532**	**12,423.62**

5.1.8.1 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, 13 लेखापरीक्षा आयामों में से प्रत्येक को जिस सीमा तक अनुपालन विचलनों मे परिवर्तित किया गया है उन्हें ***तालिका 5.1.3*** में संक्षेपित किया गया है। इस तालिका में शामिल प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण ***परिशिष्ट 5.1.7ए*** से ***परिशिष्ट 5.1.7जी*** में दिया गया है।

तालिका 5.1.3: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

				लेखापरीक्षा आयाम													
				जीएसटीआर 3बी विवरणी दाखिल नहीं किया जाना	जीएसटीआर 9सी (तालिका 5 आर) में घोषित कुल टर्नओवर में भिन्नता	जीएसटीआर 9सी (तालिका 7जी) में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों में भुगतान किए गए कर में भिन्नता (तालिका 9आर)	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के मध्य आटीसी का लाभ लेने में भिन्नता (तालिका 12 एफ)	वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी एवं वित्तीय विवरण में घोषित व्यय के मध्य भिन्नता (तालिका 14 टी)	आरसीएम के तहत आईटीसी लेने में भिन्नता	आरसीएम के तहत भुगतान किए बिना आईटीसी लेने में भिन्नता	अधिक आईटीसी लेना	ब्याज का कम भुगतान	गलत आईएसडी क्रेडिट लिया जाना	अनिर्वहित कर देनदारियाँ	विवरणियों को दाखिल न करने वाले करदाता	कुल
				1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
प्रकरण जहां पर जवाब प्राप्त हुआ			संख्या	18	50	50	50	50	50	49	16	49	50	49	50	1	532
			राशि	1.82	—[20]	—[21]	26.93	62.33	970.93	9.29	0.79	63.50	18.74	3.01	97.91	0.00[22]	1,255.25
लेखापरीक्षा द्वारा मान्य विभाग का जवाब		डेटाप्रविष्टि त्रुटियाँ	संख्या	0	6	11	4	1	0	30	9	4	0	23	3	0	91
			राशि	0.00	—	—	4.46	0.71	0.00	5.47	0.45	18.77	0.00	1.49	8.55	0.00	39.90
		प्रश्न पूछने से पूर्व की गई कार्रवाई	संख्या	2	0	0	12	19	0	5	1	11	9	2	7	0	68
			राशि	0.12	0.00	0.00	4.69	40.5	0.00	0.57	0.05	10.14	2.21	0.13	10.81	0.00	69.22
		अन्य वैध स्पष्टीकरण	संख्या	0	37	34	9	11	43	1	1	8	6	4	15	1	170
			राशि	0.00	—	—	7.35	12.93	854.84	0.12	0.04	8.28	0.81	0.07	27.38	0.00	911.82
अनुपालन विसंगतियाँ	ऐसे प्रकरण जिनमें कार्रवाई शुरू की जानी है को शामिल करते हुए विभाग द्वारा स्वीकार किए गए प्रकरण	की गई वसूली	संख्या	1	0	0	5	4	0	0	0	1	16	1	3	0	31
			राशि	0.00[23]	0.00	0.00	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.80	2.13	0.01	0.66	0.00	3.88
		जारी किए गए कारण बताओ नोटिस[24]	संख्या	10	6	4	9	7	0	4	2	11	11	6	6	0	76
			राशि	3.83	—	—	2.89	4.61	0.00	1.81	0.12	23.93	10.65	0.27	13.79	0.00	61.90
		एएसएमटी 10	संख्या	5	1	1	11	8	7	9	3	13	8	13	16	0	95
			राशि	0.69	—	—	7.5	3.97	116.1	2.28	0.15	12.12	1.75	1.09	33.97	0.00	179.62
	विभाग का उत्तर जो लेखापरीक्षा को स्वीकार नहीं (खंडन)		संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
	कुल		संख्या	16	7	5	25	19	7	13	5	26	35	20	25	0	203
			राशि	4.52	—	—	10.56	8.69	116.1	4.09	0.27	37.36	14.53	1.37	48.42	0.00	245.91

[20] 50 प्रकरणों में जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में कुल असमाधानित टर्नओवर ₹ 7,954.74 करोड़ था, जिसमे से छः प्रकरणों में ₹ 266.25 करोड़ की डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ थी, 37 प्रकरणों में विभाग ने वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिनमे ₹ 974.65 करोड़ सम्मिलित थे और शेष सात प्रकरणों में अनुपालन विसंगतियाँ पाई गईं जिनमे ₹ 6,674.68 करोड़ कुल टर्नओवर में भिन्नता सम्मिलित थी।

[21] 50 प्रकरणों में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में कुल असमाधानित टर्नओवर ₹ 3,213.62 करोड़ था, जिसमे से 11 प्रकरणों में ₹ 280.87 करोड़ की डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ थी, 34 प्रकरणों में विभाग ने वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिनमे ₹ 2,894.94 करोड़ सम्मिलित थे और शेष पाँच प्रकरणों में अनुपालन विसंगतियाँ पाई गईं जिनमे ₹ 24.37 करोड़ कुल टर्नओवर में भिन्नता सम्मिलित थी।

[22] स्टॉप फाइलर्स के एक प्रकरण में आपत्ति की राशि ₹ 56,000 थी और विभाग ने भी वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

[23] एक प्रकरण में वसूल की गई राशि ₹ 15,000 थी।

[24] डीआरसी 01ए/डीआरसी 01 (कारण बताओ नोटिस), डीआरसी 07 (आदेश का सारांश), डीआरसी 13 (धारा 79 (1)(सी) के तहत अन्य व्यक्ति को दी गई सूचना)

- ☞ **उपरोक्त तालिका के शीर्षक में प्रयुक्त 'एआर' और 'एफएस' शब्दों का अर्थ क्रमशः 'वार्षिक विवरणी' तथा 'वित्तीय विवरण' है।**
- ☞ **उपरोक्त तालिका की श्रेणी "की गई वसूली और जारी किए गए जारी कारण बताओ नोटिस" के अंतर्गत दर्शाई गई राशि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि पर ध्यान दिए बिना विभाग द्वारा की गई वसूली और जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के अनुसार है।**

5.1.8.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश

532 प्रकरणों के विचलनों/विसंगतियों में से जिनके लिए विभाग की प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुए थीं, 202(37.97 प्रतिशत) प्रकरणों में जिनमें ₹ 245.40 करोड़ शामिल थे, विभाग ने विचलनों/विसंगतियों को स्वीकार कर लिया तथा 31 प्रकरणों में ₹ 3.88 करोड़ की वसूली कर ली तथा 76 प्रकरणों में ₹ 61.90 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये। इसके अलावा, विभाग ने करदाताओं से जवाब की माँग करते हुए 95 प्रकरणों में ₹ 179.62 करोड़ के लिए एएसएमटी 10 जारी किया। इन सभी प्रकरणों में, आईटीसी भिन्नता, आरसीएम के तहत प्राप्त अतिरिक्त आईटीसी, कम ब्याज का भुगतान और कम कर के भुगतान जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में विचलन की उच्च दर देखी गई।

वृत–1 बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण GSTIN 22AACCK2650D1Z6 जिसमे ₹ 0.51 करोड़ की राशि निहित थी, के संबंध में लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार नहीं था।

329 (61.84 प्रतिशत) प्रकरणों में जहां लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य था, इसमें से 91 (17.11 प्रतिशत) प्रकरणों में डेटा के प्रविष्टि की गलतियाँ, विभाग ने 68 प्रकरणों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और 170 प्रकरणों में विभाग के पास वैध स्पष्टीकरण था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के उच्च मूल्य वाले प्रकरण (ऐसे प्रकरण जिनमें वसूली, एएसएमटी 10 एवं नोटिस से संबन्धित अनुपालन विचलन) ***तालिका 5.1.4*** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 5.1. 4: प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के लिए उच्च मूल्य वाले प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षा आयाम	GSTIN	वृत्त	राशि (₹)	की गई कार्रवाई
1.	जीएसटीआर 3बी विवरणी दाखिल नहीं करना	22ABZPJ1696F1ZB	वृत्त–कवर्धा	1.28	DRC 13
2.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में कुल टर्नओवर में भिन्नता (9सी की तालिका 5आर)	22AACCC1772C1ZB	वृत्त–8, रायपुर	–	DRC 01
3.	वार्षिक विवरणी में और वित्तीय विवरण में करयोग्य टर्नओवर में भिन्नता (9सी की तालिका 7जी)	22ABDFA0051D1ZG	वृत्त–5, रायपुर	–	ASMT 10
4.	लेखा पुस्तकों में भुगतान किए गए कर और वार्षिक विवरणी में देय कर के बीच भिन्नता (9सी की तालिका 9आर)	22ADCPG7864R1Z2	वृत्त–9, रायपुर	3.99	ASMT 10
5.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में लिए गए आईटीसी में भिन्नता (9सी की तालिका 12एफ)	22AFAPK7491J1ZD	वृत्त–8, रायपुर	1.32	DRC 01A
6.	वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी और वित्तीय विवरण के व्ययों में भिन्नता (9सी की तालिका 14टी)	22AABCB7575P2Z8	वृत्त–5, रायपुर	32.83	ASMT 10
7.	रिर्वस चार्ज मेकनिज्म (आरसीएम) के तहत लिए गए आईटीसी में भिन्नता	22AALPI8478F2ZH	वृत्त–1, कोरबा	0.81	DRC 01
8.	आरसीएम के तहत भुगतान किए बिना आईटीसी का लाभ में भिन्नता	22AGMPR9677A1Z3	वृत्त–1, दुर्ग	0.07	DRC 13
9.	अत्यधिक आईटीसी लिया जाना	22AAACP6317L1ZI	वृत्त–8, रायपुर	4.71	DRC 01A
10.	विलंब से किए गए कर के भुगतान पर शून्य/कम ब्याज का भुगतान	22AABAC5137E2ZC	वृत्त–7, रायपुर	7.68	DRC 07
11.	आइएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	22AAACH7412G2Z2	वृत्त–9, रायपुर	0.25	ASMT-10
12.	कर देयता का भुगतान नहीं किया जाना	22AAZFM0586A1ZA	वृत्त–4, दुर्ग	8.64	DRC 01A

तालिका 5.1.4 में उदाहरणस्वरूप शामिल प्रकरणों को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

(ए) आयाम– जीएसटीआर 3बी विवरणी दाखिल नहीं किया जाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017, विवरणियाँ यानी प्रारूप जीएसटीआर 1 (जावक आपूर्ति के लिए), प्रारूप जीएसटीआर 2 (आवक आपूर्ति के लिए) और प्रारूप जीएसटीआर 3 (आवक तथा जावक आपूर्ति के लिए संयुक्त विवरणी) को निर्धारित करता है। हालांकि, सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, प्रारूप जीएसटीआर 3 के बदले एक सरल विवरणी को प्रारूप जीएसटीआर 3बी[25] में अस्थायी व्यवस्था के रूप में लाया गया था जिसे मासिक आधार पर दाखिल किया जाना था। अतः जीएसटीआर 3बी वह साधन

25 छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्ति एवं दावा किए गए आईटीसी, के साथ दाखिल किया जाने वाला मासिक सारांश विवरणी है। यही विवरणी इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट एवं डेबिट और इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में डेबिट को दर्शाती है।

बन गया जिसके माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा कर देयता का निर्वहन किया गया तथा आईटीसी का लाभ लिया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), पाया कि वर्ष 2017–18 के दौरान कवर्धा वृत्त के अधिकार क्षेत्र के एक करदाता GSTIN 22ABZPJ1696AF1ZB ने पूरे वर्ष के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया था परंतु जीएसटीआर 1 फाइल किया था या उसका जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर 3बी वह साधन है जिसके माध्यम से कर देयता का निर्वहन किया जाता है तथा आईटीसी का लाभ लिया जाता है। जीएसटीआर 1 अथवा 2ए की उपलब्धता तथा जीएसटीआर 3बी का दाखिल नहीं किया जाना, यह संकेत देता है कि करदाता ने पूरी अवधि के दौरान व्यवसाय किया था परंतु कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। अतः इस प्रकरण में आईटीसी के अनियमित हस्तांतरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि ₹ 1.28 करोड़ की राशि के लिए डीआरसी 13 जारी किया गया है। वसूली की जानकारी प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(बी) जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में वार्षिक विवरणी में और वित्तीय विवरण में कुल टर्नओवर में अंतर

जीएसटीआर 9सी की तालिका 5, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर से मिलान का प्रयास करती है। इस तालिका का कॉलम 5आर, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 तथा वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर के बीच असमाधानित टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2017–18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है, का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में दर्शाये गए टर्नओवर में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा हेतु किया गया। उन प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर, वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर से कम था, की असमायोजित राशि, जिसमें प्रतिवेदित न करना, कम प्रतिवेदित करना, आपूर्ति को प्रतिवेदित करने में त्रुटि, जिसके कारण कर का अपवंचन अथवा कर का कम भुगतान हो सकता है, का जोखिम था। यह एक कर योग्य और कर से छुट आपूर्ति को प्रतिवेदित न करने का मामला हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2022) कि वृत्त–8 रायपुर के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत GSTIN: 22AACCC1772C1ZB वाले करदाता, के प्रकरण में जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में असमायोजित टर्नओवर की राशि ₹ 6,637.39 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को डीआरसी 01 जारी किया जा चुका है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(सी) आयाम– जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में करयोग्य टर्नओवर में भिन्नता

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर से मिलान का प्रयास करती है। इस तालिका का कॉलम 7जी, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 तथा वित्तीय विवरण में घोषित असमायोजित करयोग्य टर्नओवर के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2017–18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है,

का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में दर्शाये गए करयोग्य टर्नओवर में पहचाने गए अंतर की सीमा की जाँच हेतु किया गया। उन प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 में घोषित करयोग्य टर्नओवर, वित्तीय विवरण में घोषित करयोग्य टर्नओवर से कम था, की असमायोजित राशि, जिसमें प्रतिवेदित न करना, कम प्रतिवेदित करना, आपूर्ति को प्रतिवेदित करने में त्रुटि जिसके कारण कर का अपवंचन अथवा कर का कम भुगतान हो सकता है, का जोखिम था। यह एक करयोग्य और कर से छूट आपूर्ति को प्रतिवेदित न करने का मामला हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–5, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22ABDFA0051D1ZG था, के प्रकरण में पाया कि उसके जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में असमायोजित टर्नओवर की राशि ₹ 8.92 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका था। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(डी) आयाम– जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में लेखा पुस्तकों में भुगतान किए गए कर और वार्षिक विवरणी में देय कर में भिन्नता

जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के अनुसार भुगतान किए गए कर के साथ टर्नओवर को दर के हिसाब से अलग–अलग भुगतान किए गए कर की तुलना करते हुए, मिलान का प्रयास करती है। असमायोजित राशि संभावित रूप से गलत दर पर कर के आरोपण, करयोग्य टर्नओवर का छुट के रूप में गलत दर्शाया जाना अथवा सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी के गलत आरोपण को इंगित कर सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती है जिनमें वर्ष 2017–18 से संबन्धित लेनदेन जिन्हें अगले वर्ष 2018 के अप्रैल से सितंबर के मध्य किया गया था, में संशोधनों (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों की शुद्ध राशि) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर को कम किया गया हो।

वर्ष 2017–18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है, का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में भुगतान किए गए कर में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–9, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22ADCPG7864R1Z2 था, के प्रकरण में पाया कि उसके जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में असमायोजित भुगतान किए गए कर की राशि ₹ 3.99 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को एएसएमटी 10 जारी किया गया है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(ई) आयाम– जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में लिए गए आईटीसी में भिन्नता

जीएसटीआर 9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित आईटीसी के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा लेखा पुस्तकों के अनुसार लिए गए आईटीसी, से मिलान का प्रयास करती है।

वर्ष 2017–18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है, का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में लिए गए आईटीसी में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–8, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AFAPK7491J1ZD था, के प्रकरण में पाया कि उसके जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में असमायोजित आईटीसी की राशि ₹ 0.61 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि करदाता को ब्याज और दंड सहित ₹ 1.32 करोड़ की राशि के लिए डीआरसी 01ए जारी किया गया है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(एफ) आयाम– जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी और वित्तीय विवरण में घोषित व्ययों में भिन्नता

जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 करदाता द्वारा किए गए व्ययों से संबन्धित है जो इन्पुट्स, पूंजीगत वस्तु या सेवाओं के रूप में हो सकते हैं। ये खरीदे गए वस्तु/सेवाएँ करयोग्य अथवा कर से छुट प्राप्त भी हो सकती हैं और पंजीकृत व्यक्तियों (फारवर्ड चार्ज) या अपंजीकृत व्यक्तियों (रिर्वस चार्ज) से खरीदी गई हो सकती हैं। तालिका 14 किए गए व्ययों के साथ लिए गए आईटीसी का मिलान करती है, तथा अपात्रता, अवरुद्ध क्रेडिट और कम्पोजीसन स्कीम के कारण उठाए गए कोई भी अतिरिक्त लाभ को तालिका 14टी में प्रदर्शित किया जाता है।

वर्ष 2017–18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है, का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में लिए गए आईटीसी और किए गए व्ययों में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–5, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AABCB7575P2Z8 था, के प्रकरण में पाया कि उसके जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में असमायोजित आईटीसी की राशि ₹ 32.83 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है।

(जी) आयाम– रिर्वस चार्ज मेकनिज़्म (आरसीएम) के तहत लिए गए आईटीसी में भिन्नता

जीएसटीआर 3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें रिर्वस चार्ज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ साथ घोषित सेवाओं के आयात और कर के भुगतान के साथ रिर्वस चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व–घोषित किया जाता है। जीएसटीआर 9 एक वार्षिक विवरणी है जिसकी तालिका 4 में रिर्वस चार्ज करदेयता एवं तालिका 6 में आईटीसी का विस्तृत विवरण दिखता है।

आईटीसी लिया जाना/उपयोग किया जाना की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए जीएसटीआर 3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 से संबन्धित प्रासंगिक डेटासेट की तुलना यह जाँच करने के लिए की गई थी कि क्या रिर्वस चार्ज मेकनिज़्म (आरसीएम) पर लिए गए आईटीसी, भुगतान किए गए कर के अनुरूप सीमित थी। अपनाई गई इस कार्यप्रणाली के तहत जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में लिए गए आईटीसी के साथ किया गया था। उन प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जांच को जीएसटीआर 3बी तक सीमित कर दिया गया था जहां पर जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(2) और 4ए(3) में लिए गए आईटीसी के की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में भुगतान किए गए कर से की गई।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–1, कोरबा के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AALPI8478F2ZH था, के प्रकरण में पाया कि आरसीएम से संबन्धित ₹ 0.81 करोड़ की राशि जिसमें ब्याज एवं दंड शामिल है, ज्यादा आईटीसी लिया गया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को डीआरसी 01 जारी किया जा चुका है।

(एच) आयाम– आरसीएम के तहत भुगतान किए बिना आईटीसी लिए जाने में भिन्नता

जीएसटीआर 3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें रिर्वस चार्ज पर आईटीसी के साथ साथ घोषित सेवाओं के आयात और कर के भुगतान के साथ रिर्वस चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व–घोषित किया जाता है। जीएसटीआर 9 एक वार्षिक विवरणी है जिसकी तालिका 4 में रिर्वस चार्ज करदेयता एवं तालिका 6 में आईटीसी का विस्तृत विवरण दिखता है।

वर्ष 2017–18 के लिए समतुल्य करदेयता का निर्वहन किए बिना, आरसीएम के तहत लिए गए आईटीसी की सीमा या दूसरे शब्दों में आरसीएम के तहत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर 3बी एवं वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 से संबन्धित डेटासमूह की तुलना करके यह जाँच करते हुए किया गया कि क्या आरसीएम के तहत गतिविधियों/लेनदेन पर पूरी तरह से कर का भुगतान कर दिया गया था। ऐसे प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 फाइल किया हुआ था, तालिका 4जी में किए हुए आरसीएम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में लिए गए आईटीसी के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(2) और 4ए(3) में आरसीएम भुगतान के साथ की गई।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–1, दुर्ग के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AGMPR9677A1Z3 था, के प्रकरण में पाया कि ₹ 0.07 करोड़ के कर का भुगतान किए बिना आरसीएम से संबन्धित ज्यादा आईटीसी लिया गया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि डीआरसी 13 जारी किया जा चुका है।

(आइ) आयाम– अधिक आईटीसी लिया जाना

जीएसटीआर 2ए खरीद से संबन्धित एक गतिशील कर विवरणी है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर 3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें कर के भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ साथ जावक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व–घोषित किया जाता है।

आईटीसी लिए जाने/उपयोग करने की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए संबन्धित डेटा समूहों को वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से निकाला गया था और आपूर्तिकर्ताओं के ब्यौरा के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी को प्राप्तकर्ता करदाताओं द्वारा लिए गए आईटीसी से मिलान कराया गया। अपनाई गई इस कार्यप्रणाली के तहत जीएसटीआर 2ए के अनुसार सभी संशोधनों के उपरांत उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी(2)[26] में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए परंतु अगले वर्ष 2018–19 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8(सी) में

[26] अन्य आईटीसी रिवर्स्ड

लिए गए आईटीसी को शामिल करते हुए जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5)[27] में लिए गए आईटीसी से की गई।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–8, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AAACP6317L1ZI था, के प्रकरण में पाया कि जीएसटीआर 2ए के अनुसार (रिवर्सल सहित) उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.93 करोड़ थी जबकि अगले वर्ष 2018–19 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8(सी) में लिए गए आईटीसी ₹ 0.29 करोड़ को शामिल करते हुए जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में लिए गए आईटीसी ₹ 3.09 करोड़ थी। इस प्रकार उपलब्ध आईटीसी और लिए गए आईटीसी में ₹ 2.16 करोड़ का अंतर था।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को ब्याज और दंड सहित ₹ 4.71 करोड़ की राशि के लिए डीआरसी 01ए जारी किया जा चुका है।

(जे) आयाम – कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन निर्धारित अवधि में सरकार को कर अथवा उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो जिस अवधि के लिए कर अथवा उसका कोई भाग बकाया रहता है उस अवधि के लिए अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

जीएसटीआर 3बी में भुगतान किए गए कर का ब्यौरा और इस विवरणी को दाखिल करने की तिथि का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2017–18 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की पहचान की गई। देय ब्याज की गणना हेतु केवल शुद्ध कर देयता (नकद भाग) पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–7, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के एक करदाता जिसका GSTIN: 22AABAC5137E2ZC था, के प्रकरण में पाया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के विभिन्न महीनों की जीएसटीआर 3बी विवरणियाँ, 32 से 140 दिनों के विलंब के साथ दाखिल की गई हैं जिसके कारण ₹ 7.67 करोड़ का ब्याज देय है। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने से पहले करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 7.67 करोड़ ब्याज का कम भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि ₹ 7.68 करोड़ की राशि जिसमे ब्याज एवं दंड शामिल है, के लिए डीआरसी 07 जारी किया गया है। आगे वसूली की कार्यवाही की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(के) आयाम – आईएसडी क्रेडिट का गलत लिया जाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की यथार्थता को सत्यापित करने के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा विवरणियों की जांच की जानी चाहिए और उनमें परिलक्षित कोई भी विसंगतियों या अनियमितताओं पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा लिया गया आईटीसी, आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से अधिक तो नहीं है, करदाता की विवरणियों में घोषित

27 अन्य सभी पात्र आईटीसी

आईटीसी की तुलना उनके जीएसटीआर 6 में आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से की गई।

अपनाई गई इस कार्यप्रणाली के तहत करदाता के जीएसटीआर 9 की तालिका 6जी या जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(4) की तुलना जीएसटीआर 6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए में आईएसडी के योग से किया गया।

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2022), वृत्त–9, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AAACH7412G2Z2 था, के प्रकरण में पाया कि आईएसडी से प्राप्त आईटीसी ₹ 0.82 करोड़ थी जबकि आइएसडी द्वारा वितरित आईटीसी ₹ 0.57 करोड़ थी यानी करदाता द्वारा ₹ 0.25 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है।

(एल) आयाम– अनिर्वहित कर देनदारियाँ

वस्तु या सेवाओं की जावक आपूर्ति का मासिक ब्यौरा जीएसटीआर 1 में दर्शाया जाता है। इस ब्यौरे का आकलन करदाता के द्वारा भी किया जाता है और उसे वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के संबन्धित कॉलम में घोषित किया जाता है। इसके अलावा, करयोग्य राशि और भुगतान किए हुए कर को मासिक विवरणी जीएसटीआर 3बी में भी दर्शाया जाता है।

भुगतान नहीं की गई कर देयता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2017–18 के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 से प्रासंगिक डेटासेट निकले गए थे तथा इन विवरणियों में कर देयता की तुलना जीएसटीआर 9 में घोषित कर भुगतान से की गई। जहां पर जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच देय कर की तुलना की गई। इसके लिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

कलन विधि के लिए जीएसटीआर 1 की तालिकाएं 4 से 11 और जीएसटीआर 9 की तालिकाएं 4एन, 10 एवं 11 पर विचार किया गया। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में दर्शायी करदेयता, में जो अधिक थी, की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में दर्शाये कर से की गई ताकि कर की कम भुगतान की पहचान की जा सके। जीएसटीआर 3बी के प्रकरण में तालिका 3.1(ए)[28] एवं 3.1(बी)[29] पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त–4, दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करदाता जिसका GSTIN: 22AAZFM0586A1ZA था, के प्रकरण में पाया कि जीएसटीआर 1 की तालिकाओं 4 से 11 में देय कर ₹ 1.14 करोड़ था और जीएसटीआर 3बी की तालिकाओं 3.1(एं) एव 3.1(बी) में देय कर शून्य था। इसप्रकार, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच ₹ 1.14 करोड़ की करदेयता का अंतर था।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि ₹ 8.64 करोड़ की राशि जिसमे कर, ब्याज एवं दंड शामिल है, के लिए डीआरसी 01ए जारी किया गया है।

5.1.8.3 कारणात्मक कारकों का विश्लेषण

532 प्रकरणों में विभाग की प्रतिक्रिया पर विचार करने पर पाया गया कि डेटा विचलन/विसंगतियाँ पैदा करने वाले कारक जीएसटी अधिनियमों और नियमों से विचलन के कारण हुईं। उपरोक्त ***तालिका 5.1.3*** में संक्षेपित 532 विचलनों में से 202

---

28 जावक करयोग्य आपूर्तियाँ (शून्य दर, निल दर तथा कर से छुट को छोड़कर)

29 जावक करयोग्य आपूर्तियाँ (शून्य दर)

प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा जाँच प्रारम्भ की जिनमें ₹ 245.40 करोड़ कर सन्निहित था। इन प्रकरणों में से 31 प्रकरणों में विभाग ने ₹ 3.88 करोड़ की वसूली की ***(परिशिष्ट 5.1.7डी)***, 76 प्रकरणों में ₹ 61.90 करोड़ के लिए नोटिस जारी किया ***(परिशिष्ट 5.1.7ई)*** तथा 95 प्रकरणों में ₹ 179.62 करोड़ के लिए एएसएमटी 10 जारी किया ***(परिशिष्ट 5.1.7 एफ)***।

5.1.8.4 ऐसे प्रकरण जहां पर विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार नहीं है

वृत्त–1, बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र के GSTIN: 22AACCK2650D1Z6, के संबंध में लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022) जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए के मध्य आईटीसी में राशि ₹ 0.51 करोड़ अंतर पाया ***(परिशिष्ट 5.1.7जी)***।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता ने ₹ 0.62 करोड़ की राशि वापस (रिवर्सल) कर दिया है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आक्षेप की राशि, करदाता द्वारा वापस किए जाने का दावा की गई राशि को अन्य सभी आईटीसी एवं अगले वित्त वर्ष में दावा किए गए चालू वर्ष के आईटीसी से घटाकर प्राप्त की गई थी।

5.1.8.5 करदाताओं द्वारा की गईं आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ

91 प्रकरणों में आंकड़ा प्रविष्टि की त्रुटियों को प्रदर्शित किया गया था जो कुल 532 प्रतिक्रियाओं का 17.11 प्रतिशत थी तथा जिन 329 प्रकरणों में विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था उसका 27.66 प्रतिशत थी। इन आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं थी। अधिकांश आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ आरसीएम के तहत कर, आईएसडी द्वारा वितरित आईटीसी, कुल टर्नओवर, करयोग्य टर्नओवर और भुगतान किए गए कर से संबन्धित हैं ***(परिशिष्ट 5.1.7ए)***।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022) वृत्त–1, दुर्ग के अधिकार क्षेत्र के एक करदाता जिसका GSTIN: 22AAABJ0250F1ZF था, के संबंध में ₹ 183.14 करोड़ असमायोजित टर्नओवर का विचलन पाया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2022) उत्तर दिया कि टर्नओवर में विचलन ब्याज आय से संबन्धित है जो कर से छूट की श्रेणी के अंतर्गत आता है और लिपिकीय त्रुटि के कारण जीएसटीआर 9 की तालिका 5डी में इस राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। इसप्रकार की डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ जीएसटीएन सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण हुईं जिनको उचित सत्यापन नियंत्रण द्वारा टाला जा सकता था।

5.1.8.6 लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने से पूर्व विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

विभाग ने 68 प्रकरणों में, जो 532 प्रकरणों का 12.78 प्रतिशत था, ₹ 69.22 करोड़ की राशि ***(परिशिष्ट 5.1.7बी)*** हेतु लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञापन जारी करने से पहले ही कार्रवाई कर ली थी।

उदाहरण के रूप में, लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022) वृत्त–2, कोरबा के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN:22 AACCK0633Q1ZK था, के प्रकरण में पाया कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में ₹ 28.69 करोड़ की असमायोजित आईटीसी थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि दावा की गई आईटीसी को अगस्त 2018 के जीएसटीआर 3बी में वापस कर दिया गया था।

5.1.9 जीएसटी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व–मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर व्यवस्था तंत्र स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना है। सीमित संसाधनों के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन हेतु, कानून के अनुपालन और राजस्व के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक सूचना प्रौद्योगिकी संचालित अनुपालन मॉडल, शासन के गैर–विवेकाधीन व्यवस्था को पैमाने पर बनाए रखने में सक्षम बनाता है एवं अनुपलान को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, लेखापरीक्षा ने डेटा संचालित जोखिम–आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इसप्रकार, अखिल राज्य डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणियों में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा इस विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में जीएसटी विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा की गई। इस भाग के लिए 25 करदाताओं का एक जोखिम आधारित नमूना चयनित किए गया था। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं खतरों की पहचान के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की शुरुआत में करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों जो कि जीएसटीआर 9सी का एक भाग है, और बैक–एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा करनी थी। डेस्क समीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में की गई। पहचान किए गए जोखिमों के कारणों का पता लगाने के लिए एवं करदाताओं द्वारा किए गए अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए डेस्क समीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य कर विभाग के क्षेत्र संरचनाओं में करदाताओं से संबन्धित जरूरी अभिलेख जैसे वित्तीय लेजर, बीजकों आदि की माँग कर विस्तृत लेखापरीक्षा की गई।

जैसा कि पूर्व कंडिकाओं में उल्लेखित है कि विस्तृत लेखापरीक्षा में शामिल जोखिमों और खतरों की पहचान हेतु जीएसटी विवरणियों एवं अन्य बुनियादी अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा की गई, तत्पश्चात करदाताओं के गैर–अनुपालन एवं उसपर राज्य कर विभाग की क्षेत्र संरचनाओं द्वारा की गई कार्यवाही की जाँच हेतु विभाग में जाकर लेखापरीक्षा की गई। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा गैर–अनुपालन दाखिल की गई विवरणियों की सत्यता, आईटीसी की उपलब्धता/उपयोग एवं कर भुगतान के निर्वहन की सत्यता को प्रभावित करता है। इसलिए विस्तृत लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को तीन उप–श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिनपर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

- विवरणियाँ
- आईटीसी का लाभ उठाना/उपयोग
- कर देयता का निर्वहन

विभाग ने अपने परिसर में लेखापरीक्षा हेतु जीएसटी पोर्टल पर राज्य कर विभाग के बैक–एंड सिस्टम (बीओवेब) एप्लिकेशन के माध्यम से लेखापरीक्षा को पहुंच प्रदान किया। लेखापरीक्षा के दलों ने विवरणियों के सत्यापन हेतु करदाताओं के चयनित नमूनों की विभिन्न विवरणियों को डाउनलोड किया।

कार्यक्षेत्र की सीमा

अभिलेखों की मांग और अनुवर्तन के बावजूद मूल्यांकन करने वाले वृत्तों ने जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पहचान किए गए 25 चयनित प्रकरणों में से पाँच प्रकरणों (20 प्रतिशत) करदाताओं के विस्तृत (ग्रेनुलर) अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं

किया। फलस्वरूप, लेखापरीक्षा को करदाताओं द्वारा दाखिल की गई विवरणियों में उपलब्ध जानकारियों तक सीमित होना पड़ा। क्षेत्राधिकार–वार अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण ***तालिका 5.1.5*** में दी गई है।

तालिका 5.1.5 अभिलेखों प्रस्तुत नहीं किया जाना

क्षेत्राधिकार	करदाताओं का नमूना	अभिलेख/जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले करदाताओं की संख्या
स०आ०, वृत्त–1, रायपुर	1	1
स०आ०, वृत्त–3, रायपुर	2	1
स०आ०, वृत्त–7, रायपुर	4	3
कुल	**7**	**5**

उपरोक्त पाँच प्रकरणों में जिनमें अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, ₹ 10.67 करोड़ की आईटीसी/करदेयता का अंतर था (***परिशिष्ट 5.1.8***)। इन प्रकरणों में यहाँ तक कि बुनियादी अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 9सी इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके चलते इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से दिसम्बर 2022) विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि ₹ 8.86 करोड़ के लिए तीन[30] प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है तथा अन्य दो[31] प्रकरणों में आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

5.1.9.1 विवरणियाँ

विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा में कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया जाना, इत्यादि सामने आए जो नीचे दिये गए हैं:

(ए) ब्याज का भुगतान न करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन निर्धारित अवधि में सरकार को कर अथवा उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो जिस अवधि के लिए कर अथवा उसका कोई भाग बकाया रहता है उस अवधि के लिए अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

जीएसटीआर 3बी में भुगतान किए गए कर का ब्यौरा और इस विवरणी को दाखिल करने की तिथि को संज्ञान में लेते हुए वर्ष 2017–18 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की पहचान की गई। देय ब्याज की गणना हेतु केवल शुद्ध कर देयता (नकद भाग) पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों (44 प्रतिशत) में पाया कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणी देर से दाखिल की थी जिसके कारण करदेयता का भुगतान विलंब से हुआ या उन्होने गलत तरीके से ज्यादा आईटीसी लिया/उपयोग

[30] स०आ० वृत्त–7 रायपुर (GSTIN:22AAECG3780C1Z1, 22AAACB8316K1ZV, 22AAACU5552C1ZT)

[31] स०आ० वृत्त–1 रायपुर (GSTIN:22AAJCS4517L1Z8) और स०आ० वृत्त–3, रायपुर (GSTIN 22AACCR7832C1ZR)

किया जिसे वापस किया गया परंतु ₹ 0.28 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। ***(परिशिष्ट 5.1.9)***।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से दिसम्बर 2022), वृत्त कार्यालयों ने उत्तर दिया कि आठ[32] प्रकरणों में ₹ 0.04 करोड़ ब्याज का भुगतान किया जा चुका है और अन्य तीन[33] प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत–7, रायपुर के एक करदाता जिसका GSTIN: 22AAACB8316K1ZV है, के प्रकरण में जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के जीएसटीआर 3बी विवरणियों की समीक्षा करने पर पाया गया कि करदाता द्वारा देय कर का भुगतान 20 से 356 दिनों के विलंब के साथ किया गया है। तथापि, करदाता द्वारा कर देयता के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.19 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(बी) जीएसटीआर 3बी विवरणी के विलंबित दाखिले पर शून्य/कम विलंब शुल्क का भुगतान

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 47(1) में यह प्रावधान है कि कोई भी पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति जो धारा 39 अथवा धारा 45 के अंतर्गत, देय तिथि तक आवश्यक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह उस अवधि के लिए जिसमे ऐसी विफलता जारी रहती है, के लिए प्रतिदिन ₹ 100, अधिकतम ₹ 5000 तक विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा अधिसूचना संख्या 64/2017–सीटी, दिनांक 15 नवंबर 2017 द्वारा, ऐसे करदाता जिनकी करदेयता शून्य है, के लिए विलंब शुल्क को घटाकर ₹ 20 प्रतिदिन तथा अन्य करदाताओं के लिए ₹ 50 प्रतिदिन कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों (36 प्रतिशत) में पाया कि करदाताओं ने वर्ष 2017–18 की कर अवधि के लिए प्रत्येक महीने की उक्त विवरणी को 1 से 460 दिनों के विलंब से दाखिल किया था। इसलिए, ऐसे सभी करदाता विलंबित विवरणियों के दाखिले पर ₹ 1.19 लाख विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे ***(परिशिष्ट 5.1.10)***।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2022 से जनवरी 2023), वृत्त कार्यालयों ने उत्तर दिया कि छः[34] करदाताओं ने लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 0.30 लाख विलंब शुल्क का भुगतान किया था। विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि दो[35] प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है तथा एक[36] प्रकरण में आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

---

[32] स०आ० वृत्त–मनेन्द्रगढ़: 2 प्रकरण, स०आ० वृत्त–2, रायपुर, स०आ० वृत्त–4, रायपुर, स०आ० वृत्त–8, रायपुर, स०आ० वृत्त–9, रायपुर:2 प्रकरण और स०आ० वृत्त–2, रायगढ़.

[33] स०आ० वृत्त–7, रायपुर : 2 प्रकरण एवं स०आ० वृत्त–9, रायपुर

[34] स०आ० वृत्त– धमतरी, स०आ० वृत्त–2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त–7, रायपुर, स०आ० वृत्त–9, रायपुर: 2 प्रकरण और स०आ० वृत्त–राजनन्दगाँव.

[35] स०आ० वृत्त–7, रायपुर: 2 प्रकरण

[36] स०आ० वृत्त–3, रायपुर

(सी) आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से चार प्रकरणों (16 प्रतिशत) में पाया कि करदाताओं ने जीएसटी विवरणियाँ दाखिल करते समय ₹ 4.76 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.1.11)*** की आंकड़ा प्रविष्टि संबन्धित त्रुटियाँ की थीं। करदाताओं द्वारा की गई ये त्रुटियाँ मुख्य रूप से जीएसटीआर 1/जीएसटीआर 3बी में करयोग्य मूल्य, कर देयता, कर भुगतान, आईटीसी के उपभोग आदि जैसे क्षेत्रों से संबन्धित थीं।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 विवरणियों की जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत–2, कोरबा के एक करदाता जिसका GSTIN: 22AAACB8316K1ZV है, के प्रकरण में करदाता ने वार्षिक विवरणी में घोषित (जीएसटीआर 9 की तालिका 6जे) आईटीसी की तुलना में इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर में ₹ 1.33 करोड़ अतिरिक्त आईटीसी का उपयोग दिखाया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि करदाता ने गलती से वस्तु के आयात पर के आईटीसी और आरसीएम के तहत आईटीसी को ₹ 4.51 करोड़ के बजाय ₹ 3.18 करोड़ प्रतिवेदित किया था।

5.1.9.2 आईटीसी की उपलब्धता/उपयोग

आईटीसी का अर्थ है एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा वस्तु/सेवाओं के क्रय पर भुगतान किया गया जीएसटी जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान आगे किया जाएगा। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान के निस्तारण हेतु किया जा सकता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16, करदाता को वस्तु/सेवाओं अथवा दोनों की किसी भी आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करती है जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान आगे करने का इरादा है।

अत्यधिक आईटीसी का लाभ लेने, अपात्र आईटीसी का लाभ लेने, आईटीसी का शून्य/कम वापसी (रिवर्सल) और असमायोजित आईटीसी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और विसंगतियां नीचे दी गई हैं:

(ए) अत्यधिक आईटीसी लिया जाना

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से पाँच प्रकरणों में (20 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रेनुलर अभिलेख प्रदान नहीं करने के कारण ₹ 1.71 करोड़ के आईटीसी लेने में पाई गई भिन्नताओं की विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी ***(परिशिष्ट 5.1.12)***।

आकड़ें जीएसटीआर 9/जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से निकाले गए थे और आपूर्तिकर्ता करदाताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी को करदाता द्वारा लाभ लिए गए आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया और सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में लिए गए आईटीसी से जिसमे तालिका 4बी (2) के वापसी को तथा अगले वर्ष 2018–19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से लिए गए आईटीसी को भी शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से जनवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि तीन प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है तथा

एक प्रकरण में इसे जारी किया जा चुका है। शेष एक प्रकरण में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत–मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत GSTIN: 22AAJCA1886E1ZV वाले एक करदाता, के प्रकरण में वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा के दिनांक (दिसम्बर 2022) तक जीएसटीआर 2ए में आईटीसी ₹ 3.64 करोड़ था जबकि वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 3बी में लिए गया आईटीसी ₹ 4.84 करोड़ था। इसप्रकार, ₹ 1.19 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण (4 प्रतिशत) में ₹ 0.56 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया, जिसमें वृत–9, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AUHPS9016R1ZY वाले करदाता का वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 2ए से अलग एवं जीएसटीआर 2ए में आईटीसी ₹ 2.58 करोड़ था जबकि वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका (6बी+8सी–7एच) ₹ 3.14 करोड़ आईटीसी दर्शा रही थी। इसप्रकार, ₹ 0.56 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(बी) अपात्र आईटीसी लिया जाना

ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (4 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2022) कि करदाता ने ₹ 0.30 करोड़ अपात्र आईटीसी लिया था। वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लिए गए आईटीसी का व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उपयोग नहीं करने के कारण यह कमी हुई थी, जो नीचे दी गई है:

वृत–अम्बिकापुर के अंतर्गत GSTIN: 22DKRPK4609F1Z5 वाले एक करदाता के प्रकरण में आवक आपूर्ति पर लिए गए आईटीसी और जावक आपूर्ति पर कर के भुगतान के मध्य व्यापक भिन्नता थी। पूछे जाने पर (21 दिसम्बर 2022), वृत्त अधिकारी ने (22 दिसम्बर 2022) कहा कि करदाता का व्यवसाय परिवहन एवं इसके हैंडिलिंग ठेकेदार का है। परिवहन के व्यवसाय में जीएसटी आरसीएम आधार पर है जबकि हैंडिलिंग में जीएसटी समान्य आधार पर है।

लेखापरीक्षा ने ग्रेनुलर अभिलेख में आगे यह पाया कि करदाता ने ₹ 0.30 करोड़ आईटीसी पूंजीगत वस्तुओं तथा उन पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित इनपुट पर प्राप्त किया था जो विशेष रूप से जीटीए सेवा से संबंधित थी, जिस पर आरसीएम आधार पर सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा कर देयता का निर्वहन किया गया था। अतः आईटीसी का लाभ लेना अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (26 दिसम्बर 2022) वृत्त अधिकारी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि करदाता ने तत्काल प्रश्न पूछे जाने के जवाब में दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को ₹ 0.30 करोड़ अपात्र आईटीसी को डीआरसी 03 के माध्यम से

वापस कर दिया था। हालांकि, विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि वसूली विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच के दौरान जारी एएसएमटी 10 (वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए के बीच के आईटीसी के अंतर से संबन्धित) के जवाब में हुई थी और लेखापरीक्षा द्वारा यह भी पाया गया कि करदाता ने डीआरसी 03 में कारण बताओ नोटिस का विवरण और उसके कारणों का उल्लेख नहीं किया था। अतः इसे समायोजित किया जा सकता है।

(सी) आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(2) सह–पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42 और 43 कहता है कि जब किसी पंजीकृत करदाता द्वारा वस्तु या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य–दर आपूर्ति को शामिल करते हुए करयोग्य आपूर्ति के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए किया जाता है तो क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उस हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य–दर आपूर्ति को शामिल करते हुए करयोग्य आपूर्ति के लिए देय है।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 25 प्रकरणों में से चार प्रकरणों (16 प्रतिशत) में ₹ 1.68 करोड़ आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल किया गया जिसका लाभ निरंक दर/छुट प्राप्त आपूर्ति के लिए लिया गया था ***(परिशिष्ट 5.1.13)***।

इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि सभी प्रकरणों में एसएएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत–7, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AAACU5552C1ZT वाले एक करदाता, के विवरणियों की जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता का कुल टर्नओवर ₹ 365.21 करोड़ था तथा छूट प्राप्त टर्नओवर ₹ 61.92 करोड़ था। करदाता ने ₹ 12.85 करोड़ आईटीसी भी लिया था। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 का प्रयोग करते हुए करदाता को ₹ 2.18 करोड़ आईटीसी को रिवर्स करना था पर वास्तव में ₹ 0.72 करोड़ आईटीसी रिवर्स किया गया। इसप्रकार, कर योग्य एवं शून्य/छूट वाली आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले ₹ 1.46 करोड़ आईटीसी कम रिवर्सल हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण (4 प्रतिशत) में सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के गलत प्रयोग करने के कारण एक करदाता ने ₹ 0.94 करोड़ आईटीसी वापस नहीं किया था जैसे कि नीचे दिया गया है:

वृत–7, रायपुर के अंतर्गत GSTIN:22AAECA9783D2ZP वाले एक करदाता, के विवरणियों और ग्रेनुलर अभिलेखों की में लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता का कुल टर्नओवर ₹ 341.03 करोड़ था तथा छूट प्राप्त टर्नओवर ₹ 58.61 करोड़ था। करदाता ने ₹ 4.27 करोड़ आईटीसी भी लिया था। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 का प्रयोग करते हुए करदाता को ₹ 0.94 करोड़ आईटीसी को वापस करना था परंतु कोई

आईटीसी वापस नहीं किया गया। इसप्रकार, कर योग्य एवं शून्य/छूट वाली आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले ₹ 0.94 करोड़ आईटीसी का रिवर्सल नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि करदाता ने 14 दिसम्बर 2022 को डीआरसी 03 के माध्यम से ₹ 0.94 करोड़ आईटीसी वापस कर दिया है।

(डी) जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ के अनुसार असमायोजित आईटीसी

ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (4 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त–3, रायपुर के तहत GSTIN: 22AACCR7832C1ZR वाले एक करदाता के वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में ₹ 0.32 करोड़ के आईटीसी में भिन्नता थी, जिसका लाभ करदाता ने लिया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि प्रकरण में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

5.1.9.3 कर देयता का निर्वहन

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9, भारित धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, राज्य के भीतर वस्तु या सेवाओं या दोनो की सभी आपूर्तियों पर राज्य/केंद्र को वस्तु एवं सेवा कर नामक कर आरोपण एवं संग्रहण करने को अधिकृत करती है। उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम यानी सीजीएसटी अधिनियम और सीजीजीएसटी अधिनियम के तहत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं की दर है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी के आरोपण एवं संग्रहण का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत ऐसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर्राज्यीय एवं राज्यों के भीतर की आपूर्तियों पर एक उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) एवं 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) एव 5(4) में कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर आरसीएम आधार पर कर आरोपित करने का प्रावधान है जिसमे आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

कर देनदारियों के निर्वहन से संबन्धित पायी गईं लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं विसंगतियां नीचे दी गई हैं:

(ए) कर का कम भुगतान

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में (12 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि कर देनदारियों और आरसीएम के अलावा भुगतान किए गए कर में ₹ 6.74 करोड़ की विसंगति थी ***(परिशिष्ट 5.1.14)***।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022 से नवंबर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि दो प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है एवं शेष एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरण स्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त–7, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AAACB8316K1ZV वाले करदाता के वर्ष 2017–18 के जीएसटीआर 1 में ₹ 2.84 करोड़ की कर देयता और जीएसटीआर 9 में ₹ 1.44 करोड़ के कर भुगतान के मध्य भिन्नता थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ कर का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों (12 प्रतिशत) में ₹ 2.35 करोड़ (₹ 1.07 करोड़ के ब्याज सहित) की कर देयता के कम भुगतान की अनुपालन कमियां पाईं ***(परिशिष्ट 5.1.15)***।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से जनवरी 2023), वृत्त कार्यालयों ने सूचित किया कि दो प्रकरणो में लेखापरीक्षा के कहने पर ₹ 0.02 करोड़ की वसूली हो चुकी है और विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एक[37] प्रकरण में एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त–2, जगदलपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AAHCS4137L1ZA वाले करदाता के पास वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए ₹ 2.32 करोड़ की कर देयता (जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन–4जी+10–11) और ₹ 1.06 करोड़ के कर भुगतान के मध्य भिन्नता थी परिणामस्वरूप ₹ 1.07 करोड़ ब्याज के साथ ₹ 1.26 करोड़ कर का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित (जनवरी 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(बी) वार्षिक विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों के मध्य घोषित असमायोजित कर भुगतान (जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर)

जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित कर भुगतान एवं लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन को दर्शाता है।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से दो प्रकरणों में (8 प्रतिशत) पाया कि विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर एवं लेखा पुस्तकों के मध्य कर भुगतान में ₹ 1.41 करोड़ की भिन्नता थी ***(परिशिष्ट 5.1.16)***।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से नवम्बर 2022 के मध्य) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एक प्रकरण में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है और शेष एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त–7, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AAACB8316K1ZV वाले करदाता की विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर एवं लेखा पुस्तकों के मध्य कर भुगतान में ₹ 1.37 करोड़ की भिन्नता थी।

---

[37] स०आ० वृत्त–2, जगदलपुर (GSTIN:22AAHCS4137L1ZA)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण (4 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त–9, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AUHPS9016R1ZY वाले एक करदाता ने आरसीएम के तहत राशि ₹ 0.48 करोड़ कर का भुगतान नहीं किया था जो ₹ 0.40 करोड़ के ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

अनुशंसा सं. 3: विभाग देखे गए अनुपालन विचलन के लिए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकता है।

5.1.10 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिले पर विभाग की निगरानी नामक विषय केन्द्रित अनुपालन लेखपरीक्षा, विवरणियों के दाखिले की बदलती प्रवृति और आकड़ों की निरंतर विसंगतियों के संदर्भ में की गई थी, जिसका उद्देश्य विवरणियों के दाखिले और कर भुगतान की निगरानी, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह विषय केन्द्रित अनुपालन लेखपरीक्षा मुख्य रूप से आंकड़ा विश्लेषण पर आधारित था जिसने वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए दाखिल जीएसटी विवरणियों में जोखिम क्षेत्रों, संभावित खतरों और कुछ प्रकरणों में नियम आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया। इस विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा में राज्य कर विभाग के निरीक्षण कार्यों को दो स्तरों पर आकलन करना शामिल था अर्थात आकड़ों के स्तर पर वैश्विक आकड़ों के प्रश्नों के माध्यम से और कार्यात्मक स्तर पर वृत्तों एवं जीएसटी विवरणियों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ, जिसमे करदाता के अभिलेखों तक पहुँचना भी निहित था। अतः लेखापरीक्षा के नमूने में 10 वृत्त, वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चयनित 13 मापदण्डों में 532 उच्च मूल्य वाली विसंगतियाँ और वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चयनित 25 करदाता शामिल थे।

विभाग ने मार्च 2022 में विवरणियों की जाँच के लिए एक एसओपी तैयार करने के बाद, हाल ही में वर्ष 2017–18 के लिए विवरणियों की जाँच शुरू की है। अब तक विभाग द्वारा प्रभावी तरीके से विवरणियों की जाँच नहीं की गई थी। 10 वृत्तों के अभिलेखों की समीक्षा में विवरणियों की जाँच की धीमी गति या जाँच का शुरू न होना, जीएसटीआर 10 दाखिल न करने वालों के विरुद्ध अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही और पंजीयन निरस्तीकरण में देरी का पता चला।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई 532 उच्च मूल्य वाली विसंगतियों में से सभी में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 203 प्रकरण जो कुल का 38.15 प्रतिशत हैं, उनमें ₹ 245.91 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ अनुपालन कमियाँ सामने आई। ब्याज के कम/शून्य भुगतान, आईटीसी भिन्नता, अधिक आरसीएम आईटीसी लिए जाने और कर के कम भुगतान करने में अपेक्षाकृत अधिक कमियाँ देखी गईं। जबकि आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ 17.11 प्रतिशत प्रकरणों में विसंगतियों का कारण बनी और 12.78 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर ली थी।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा से महत्त्वपूर्ण गैर–अनुपालन का भी पता चला। प्रारम्भ में 25 करदाताओं के नमूने में से पाँच प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 9सी, जीएसटीआर 2ए एवं अन्य अपेक्षित आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके चलते लेखापरीक्षा का दायरा काफी सीमित हो गया। ये प्रकरण आईटीसी लाभ और कर भुगतान में पहचानी गई विसंगतियों के कारण ₹ 10.67 करोड़ राशि का संभवित जोखिम को दर्शाते हैं। 20 करदाताओं की विवरणियाँ/आधारभूत अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने ₹ 6.53 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 28 अनुपालन कमियां भी पायी गई। इनके मुख्य कारण अपात्र/अधिक आईटीसी लेना, और आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान और ब्याज/विलंब शुल्क का शून्य/कम भुगतान थे।

अनुपालन कमियों की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए उनके समयबाधित होने से पहले विभाग को सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए थे। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से विभाग को दस्तावेजीकरण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और विवरणियों के दाखिल करने, करदाता अनुपालन, पंजीयन निरस्तीकरण और त्रुटिकर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

5.1.11 अनुशंसायें

1. ***प्रकरणों के समय बाधित होने से पहले विभाग समयबद्ध तरीके से विवरणियों की जाँच सुनिश्चित कर सकता है।***
2. ***विभाग अप्राप्त कर देयताओं की जांच के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने की स्थिति और उसपर की गई कार्रवाई की निगरानी कर सकता है।***
3. ***विभाग पाये गए अनुपालन विचलन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है।***